

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1382 / 11-सी-FP/UP/Pipeline/147376/2021, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 25, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

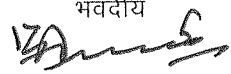
विषय:- जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग (1300मी०) चैनेज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०- FP/UP/Pipeline/147376/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षक, बरेली एवं प्रभागीय निदेशक, बरेली की संस्तुति सहित परिवेश पोर्टल-1.0 में ऑनलाईन प्रेषित किया गया। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाईन प्रस्ताव इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है, कि विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के धारा-2 के अन्तर्गत आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपो
2. शीट अपलोड है।
3. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र अपलोड है।
4. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड है।
5. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल अपलोड है।
6. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश अपलोड है।
7. मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता अपलोड है।
8. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) जमा किये जाने की वचनबद्धता अपलोड है।
9. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map अपलोड है।
10. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति अपलोड है।
11. प्रस्ताव में 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र अपलोड है।
12. भू-स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता अपलोड है।
13. वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता अपलोड है।

संलग्नक: संस्तुति पत्र।

भवदीय

(बी० प्रभाकर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1382 / 11-सी- FP/UP/Pipeline/147376/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बरेली।
- 3- परियोजना निदेशक, केन्द्रीय यू०पी० गैस, लि०, बरेली।


(बी० प्रभाकर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

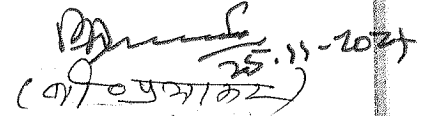
प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/147376/2021

➤	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें ।	CF करेक्ट का संस्तुति
➤	(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाएं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाएं ।	के आधार पर स्वीकृति संस्तुति की जाती है ।

हस्ताक्षर :-

नाम :-

सरकारी मुहर :-


(CF करेक्ट)
25.11-2021
जहाँ प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल
वन (सं. वन) अधिनियम, 1980
सं. लखनऊ

तिथि :-

दिनांक :-